

<u>प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनाँक 17.10.2021</u>

अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों को भोजपुर हापुड रोड पर ग्राम नाहली के पास से मय 02 अवैध पिस्टल .32 बोर तथा 05 अदद तमंचे .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा काफी समय से अवैध हथियारों को कासिफ नामक व्यक्ति जोकि लिसाडीगेट मेरठ का रहने वाला है से अवैध पिस्टल व तमंचे खरीदकर बेचने का काम करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

- 1.शाकिब पुत्र अनवार नि0 ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद,
- 2.वाहिद उर्फ इल्लो पुत्र मौहम्मद अली नि0 ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद

वांछित अभियुक्त का विवरणः-

कासिफ नि0 लिसाडीगेट थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ,

बरामदगी का विवरणः-

- 1. दो अवैध पिस्टल .32 बोर,
- 2. पाँच अवैध तमंचे .315 बोर,

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

1.शाकिब पुत्र अनवार नि0 ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद,

- 1. मु0अ0सं0 142/12 धारा 398,401 भादवि. थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 2. मु0अ0सं0 183/12 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 3. मु0अ0सं0 227/12 धारा २/३ गैंगस्टर अधि0 थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 4. मु०अ०स० ५८२/२१ धारा ३/२५(१)क.क आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर, गाजियाबाद,

2.वाहिद उर्फ इल्लो पुत्र मौहम्मद अली नि0 ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद

- 1. मु0अ0सं0 142/12 धारा 398,401 भादवि. थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 2. मु0अ0सं0 144/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 3. मु0अ0सं0 184/12 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 4. मु०अ०सं० २२७/१२ धारा २/३ गैंगस्टर अधि० थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 5. मु0अ0सं0 264/12 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट, थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 6. मु0अ0सं0 144/12 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट, थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 7. मु0अ0सं0 438/13 धारा 3(1) गुण्डा अधि0, थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 8. मु०अ०सं० ८९/१४ धारा ११०जी द०प्र०सं०, थाना भोजपुर, गाजियाबाद
- 9. मु0अ0स0 583/21 धारा 3/25(1)क.क आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर, गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. वरि0उ0नि0 श्री मुनेश सिंह, थाना भोजपुर गाजियाबाद,

- 2. उ0नि0 श्री आशुबोष तरार, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
- 3.उ0नि0 श्री शशि चौधरी, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
- 4. उ०नि० श्री अशोक कुमार, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
- 5. उ0नि0 श्री अरूण कुमार, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
- 6. हे0कां0 406 राजेन्द्र कसाना, थाना भोजपुर गाजियाबाद,
- 7. का03886 किशन कुमार, थाना भोजपुर गाजियाबाद,



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई आटो(टैम्पो) की चोरी का 24 घण्टे में सफल अनावरण कर टैम्पो को बरामद कर 03 टैम्पो चोरों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैंकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर की पुलिस टीम दिनांक 16.10.21 को थाना पर पंजीकृत मु030स0 924/21 धारा 379/411 भादिव में जो आटो लक्ष्मी गार्डन नाला रोड से चोरी हुआ था, जिसकी तलाश में 02 नम्बर स्टैण्ड पर बैरियर लगाकर चैंकिंग कर रही थी। चैंकिंग के दौरान एक आटो आता हुआ दिखाई दिया जिसमें तीन व्यक्ति सवार थे, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर रोका गया समय करीब रात्रि 10.00 बजे रोका गया। तीनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूँछा गया तो उन्होंने अपना नाम 1.इरफान उर्फ फतेह पुत्र हनीफ नि0 दर्जी मोहल्ला शिवानी मेडिकल स्टेर के पास लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गा0बाद 2.गुल्ला पुत्र गुलजार नि0 सरकारी ट्यूबवैल के पास लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद 3.पिंकी पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 553, गली न0 1, राजीव गार्डन तिरगा चौंक के पास थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद बताया तथा पकडे गये आटों को चैंक किया गया तो उक्त आटो न0 DL1RW0909 थाना हाजा पर पंजीकृत मु030स0 924/21 धारा 379 भादिवि0 में चोरी की होना पाया गया। थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर ही वाहन चोरी का सफल अनावरण कर गिरफ्तार चोरों को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

- 1.इरफान उर्फ फतेह पुत्र हनीफ नि0 दर्जी मोहल्ला शिवानी मेडिकल स्टेर के पास लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गा0बाद उम्र 22 वर्ष
- 2.गुल्ला पुत्र गुलजार नि0 सरकारी ट्यूबवैल के पास लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।
- 3.पिंकी पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 553, गली न0 1, राजीव गार्डन तिंरगा चौक के पास थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।

अभियुक्त इरफान उर्फ फतेह का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0स0 379/19 धारा 380/511 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2.मु0अ0स0 385/18 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 3.म्0अ0स0 924/21 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त गुल्ला व पिंकी का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 924/21 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्तगण से बरामद माल का विवरण-

एक अदद आटो (टैम्पो) सीएनजी न0 DL1RW0909 सम्बन्धित मु0अ0स0 924/21 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 श्री सौरभ कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2-हे0का0 1563 अरविन्द कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 3-का0 2075 सचिन कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 4-का0 1393 सतेन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।



थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त की निशादेही पर मु0अ0सं0 484/21 धारा 307/504/506 भादिव की घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा कारत्स 315 बोर की बरामदगी कार्यवाही:—

आज दिनांक 17.10.21 समय 11.00 बजे उ०नि० इसरार अहमद व है०का०७७३३ रणवीर सिंह व का०३७४४ सुनील कुमार व चालक धर्मवीर द्वारा पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाये गये अभियुक्त सोनित राठी पुत्र नगेन्द निडबाना थाना निवाडी गा०बाद ० संबंधित मु४८४ ०३०सं०/३०७ धारा 21/5०४/भादवि० 5०६ की निंशाहेदी पर दिनांक 05.10.21 को ग्राम डबाना में लोकेन्द्र पुत्र रामनाथ नि० ग्राम डबाना को जान से मारने की नीयत से गोली मारने की घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, डबाना से फिरोजपुर मार्ग पर बने देवता के पास गन्ने के खेत जंगल ग्राम डबाना चौकी क्षेत्र सौन्दा से बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 06.10.21 को मु४८४ ०३०एसं०/३०७ धारा 21/5०४/भादवि० 5०६ तथा आज दिनांक 17.10.21 को मु०३०सं०—49० / 2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सोनित उपरोक्त पंजीकृत किये गये। अभियुक्त को समय से मा०न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

अपराध करने का तरीका:--

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध अस्लाह व कारत्स रखता हैं। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपना भय व आतंक व्याप्त करने हेत् अवैध अस्लाह रखता है। अभियुक्त से बरामगदी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 490/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सोनित, पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1— एक अदद तमंचा 315 मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर) बरामद 📗

अभियुक्त—

1— अभियुक्त सोनित राठी पुत्र नगेन्द निडबाना थाना निवाडी गा0बाद 0

गिरफ्तार करने वाली टीम:--

उ0नि0 इसरार अहमद व है0का0733 रणवीर सिंह व का03744 सुनील कुमार व चालक धर्मवीर थाना निवाडी

आपराधिक इतिहासः-

- 1—मु०अ०सं0—490 / 2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनिय थाना निवाडी गा0बाद
- 2- मु४८४ ०अ०सं०/३०७ धारा २१/५०४/भादवि० ५०६ थाना निवाडी गा०बाद

